न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2016 विविध

करन पिता हरप्रसाद यादव निवासी ग्राम पठापुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 एवं 32 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 के तहत् न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख भू–प्रबन्धन शाखा छतरपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 39/ए6ए/08–09 में पारित आदेश दिनांक 10.09.09

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न से विनम्र निवेदन करता है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सुधार बावत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पठारपुर स्थित भूमि खसरा नं. 1489, 1492, 1493, 1496 किता चार रकवा 1.962 हैक्टयर का पट्टा आवेदक को नायब तहसीलदार छतरपुर के द्वारा नामांतरण पंजी. क्र. 12 वर्ष 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 17.11.89 को प्राप्त हुआ था जिसका अमल दायरा खसरे में किया गया है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इश्तहार जारी किया गया अवधि उपरांत कोई आपत्ति नहीं आयी। रा.न.भू. प्रबंधन से प्रतिवेदन लिया गया, रा.नि. द्वारा प्रतिवेदन मय पंचनामा सहित न्यायालय में पेश किया आवेदक व दो स्वतंत्र साक्षी के कथन लिये गये दोनों आवेदक द्वारा भी कब्जा की पुष्टि फसल बोकर की गयी राजस्व निरीक्षक द्वारा भी फसलीय कब्जा की पुष्टि होती है मूल अभिलेख

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- विविध-9051-एक/2016 **जिला-छतरपुर**

करन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019 11.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। 3. यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबन्धन शाखा छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 39/ए6ए/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10-09-2009 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर	

छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(अर.के. जैन) 11-01-19
सदस्य